

मध्यप्रदेश विधान सभा

जून-अगस्त, 1990 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शनिवार, दिनांक 28 जुलाई, 1990 (श्रावण 6, 1912)

समय 10.30 बजे दिन

1. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री हरनाम सिंह राठौर, सदस्य, सागर जिले के ग्राम दलपतपुर में हैजे का प्रकोप फैलने से हो रही मौतों की ओर राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री जालम सिंह पटेल /राजेन्द्र पामभोई/उदयप्रकाश मिश्र, सदस्य, भोपाल स्थित प्रशासकीय पाठशालाओं के प्रबंधकों द्वारा शिक्षण शुल्क में मनमानी बढ़ोतरी किये जाने की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री प्रेमसिंह दत्तीगांव, सदस्य, धार क्षेत्रीय कार्यालय से वितरित सोयाबीन बीज अंकुरित न हो पाने से कृषकों को हुई हानि की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री आरिफ अकील/दाऊराम रत्नाकर, सदस्य, भोपाल के कोतवाली थाना कर्मियों द्वारा एक युवक को जलाये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य, बिलासपुर जिले के बेलगहना थानान्तर्गत एक आदिवासी महिला के साथ बलात्कार किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री गजराज सिंह सिकरवार / रविन्द्र चौबे, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम बरगाय में डकैती एवं हत्या की घटना होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री नीलम सिंह यादव, सदस्य, गुना जिले के ईसागढ़ थानान्तर्गत दो साधुओं की हत्या किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री अशोक शुक्ला/सुश्री कल्याणी पाण्डेय/श्री प्रकाश जैन, सदस्य, भोपाल के घोड़ा नक्कास स्थित एक लाज में पुलिस कर्मी द्वारा एक महिला के साथ बलात्कार किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री डेरू प्रसाद धृतलहरे, सदस्य, भिंड जिले के ग्राम बोहरा के एक बालक का अपहरण कर उसकी हत्या किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य, सीधी जिले के पूर्वी एवं पश्चिमी वन मंडल में तेन्दूपत्ता श्रमिकों को मजदूरी न मिल पाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री माधव सिंह ध्रुव, सदस्य, रायपुर जिले के महानदी परियोजना से सीमेंट की अबैध निकासी होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री चन्द्रशेखर साहू, सदस्य, रायपुर जिले के मोहरा गांव के निकट एक खदान के धसने से तीन श्रमिकों की मृत्यु होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री मगनलाल गोइल / कुंवर सुरेन्द्र प्रताप सिंह/श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के डिकौली ग्राम में डकैती पड़ने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) कुंवर सुरेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले में राहत-कार्यों की मजदूरी का भुगतान न होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री रघुराज सिंह तोमर, सदस्य; पश्चिम निमाड़ जिले के अनेक क्षेत्रों में नकली चूने का उपयोग कर निर्माण कार्य किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री रघुनाथ सिंह ब्रांजना, सदस्य, जावरा नगर के समीप एक ढाबे पर गोलो चालन होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

2. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री मुन्नासिंह भदौरिया, सदस्य :—

- (क) जिला भिण्ड, तहसील अटेर के ग्राम चौम्हों एवं किशपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के संबंध में 45 व्यक्तियों की,
- (ख) जिला भिण्ड तहसील अटेर में 30 बिस्तरों वाला अस्पताल खोले जाने के संबंध में 20 व्यक्तियों की,
- (ग) जिला भिण्ड तहसील अटेर के ग्राम रानीपुरा में माध्यमिक विद्यालय प्रारंभ कराये जाने के संबंध में 33 व्यक्तियों की,
- (घ) जिला भिण्ड तहसील अटेर की कनैरा उद्वहन सिंचाई योजना का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के संबंध में 151 व्यक्तियों की,
- (ङ) जिला भिण्ड तहसील अटेर के ग्राम चिलौगा को रमा-भगवन्त पुरा मार्ग से जोड़ने हेतु सड़क निर्माण करवाये जाने के संबंध में 17 व्यक्तियों की,
- (च) जिला भिण्ड तहसील अटेर के ग्राम बिजौरा को सुरपुरा कोषण मार्ग से जोड़े जाने हेतु सड़क निर्माण के संबंध में 42 व्यक्तियों की
- (छ) जिला भिण्ड की तहसील अटेर में महाविद्यालय भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में 27 व्यक्तियों की, तथा
- (ज) जिला भिण्ड के ग्राम खैराट से देवाला होते हुए तहसील अटेर तक सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में 26 व्यक्तियों की,

याचिकाएँ प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री विश्वम्भर नाथ पाण्डेय, सदस्य :—

- (क) जिला रीवा, तहसील रायपुर कर्चुलियान के ग्राम खीरा की प्राथमिक शाला का भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में 16 व्यक्तियों की,
- (ख) जिला रीवा के ग्राम बदवार में स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के संबंध में 10 व्यक्तियों की,
- (ग) जिला रीवा, ग्राम गुढ़ के शासकीय महाविद्यालय का भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में 6 व्यक्तियों की,

